Australian Government
Medicare Australia

PBS

# औषधि लाभ योजना (Pharmaceutical Benefits Scheme) दवाएं विदेश ले जाना अथवा भेजना

अनेक प्रकार की दवाओं की लागत उस मूल्य से अधिक होती है जो आप अदा करते/करती हैं - कुछ की लागत तो सैकड़ों डॉलर होती है। औषधि लाभ योजना (पी बी एस) के माध्यम से ऑस्ट्रेलियाई सरकार विभिन्न अथवा नुस्खे की दवाओं को कम कीमत पर उपलब्ध कराती है।

सभी ऑस्ट्रेलियाई निवासी पी बी एस के माध्यम से कम कीमत की दवाओं का लाभ ले सकते हैं। पी बी एस दवाएं इटली, न्यू ज़ीलैण्ड, आयरलैण्ड गणराज्य, फिनलैण्ड, नार्वे, माल्टा, नीदरलैण्ड्स, स्वीडन, बेल्जियम तथा यूनाईटिड किंगडम से आने वाले पात्र यात्रियों के लिए भी उपलब्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इन देशों के साथ परस्पर स्वास्थ्य देखभाल समझौते किए हैं।

अपने व्यक्तिगत उपयोग अथवा आपके साथ ऑस्ट्रेलिया से यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति, जैसे बच्चे, के व्यक्तिगत उपयोग के अलावा पी बी एस की कम मूल्य की दवाओं को ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाना अथवा भेजना अवैध माना जाता है।

साथ ही पी बी एस दवाओं को आपके साथ ले जाने अथवा भेजने की मात्रा के संबंध में प्रतिबन्ध भी होते हैं। जो लोग पी बी एस दवाओं के निहित उद्देश्य से अलग उनका प्रयोग करते हैं, उन पर $5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उन्हें दो वर्ष की कैद हो सकती है।

## पी बी एस दवाओं को विदेश ले जाना

यदि आप विदेश-यात्रा की योजना बना रहे/रही हों, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने लिए नुस्खे की दवाइयों को अपने साथ लेकर जाएं ताकि विदेश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। इस बात की जांच कर लेना भी महत्वपूर्ण होता है कि आप जिस देश की यात्रा करने जा रहे/रही हैं, वहां आपकी दवाई को अवैध तो नहीं माना जाता है।

यदि आप पी बी एस दवाओं को अपने व्यक्तिगत प्रयोग या आपके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए साथ में ले जा रहे/रही हैं, तो आप:

- अपने चिकित्सक के साथ बात करें तथा आपको जिन दवाओं को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता है, उनके बारे में उससे चर्चा करें
- आप जिस देश की यात्रा करने जा रहे/रही हैं, उसके दूतावास से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित कर लें कि वहां पर यह दवा अवैध तो नहीं है
- अपने चिकित्सक से एक पत्र लेकर जाएं जिसमें दवाई का ब्यौरा और इसकी सेवन मात्रा लिखी गई हो, तथा इस बात का उल्लेख भी किया गया हो कि यह दवा आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है
- दवा को मूल पैकिंग में ही रखें, ताकि इस पर स्पष्ट रुप से आपका नाम और सेवन मात्रा संबंधी अनुदेश इँगित हों।

## पी बी एस दवाओं को विदेश भेजना

यदि आप विदेश-निवास के दौरान अपने व्यक्तिगत प्रयोग अथवा अपने साथ ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के प्रयोग के लिए पी बी एस दवाओं को वहां भेज रहे/रही हैं, तो आप:

- अपने चिकित्सक से बात करें तथा उन दवाओं के बारे में चर्चा करें जिन्हें आपको भेजने की जरुरत है

- आप जिस देश की यात्रा करने जा रहे/रही हैं, उसके दूतावास से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित कर लें कि वहां पर यह दवा अवैध तो नहीं है
- अपने चिकित्सक द्वारा लिखा गया एक पत्र संलग्न करें जिसमें दवा का ब्यौरा और इसे भेजने का प्रयोजन दिया गया हो तथा इस बात का उल्लेख भी किया गया हो कि यह आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है
- दवा को मूल पैकिंग में ही रखें, ताकि इस पर स्पष्ट रुप से आपका नाम और सेवन मात्रा संबंधी अनुदेश इँगित हों
- डाकघर से सीमाशुल्क घोषणा-पत्र प्राप्त करें तथा उसे भर कर अपने पार्सल के साथ संलग्न करें। इसमें इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि पैकेज में आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए नुस्खे की दवाएं हैं।

अपने परिवार अथवा मित्रों को खास उनके लिए नुस्खे में न लिखी गई पी बी एस दवाएं देना न केवल कानून के विरुद्ध माना जाता है, बल्कि यह उनके जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। प्रयोग की तिथि के उपरान्त तथा खास अपने लिए नुस्खे में न लिखी गई दवाओं का सेवन करना खतरनाक हो सकता है।

## अधिक जानकारी के लिए

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन | **www.medicareaustralia.gov.au** |
| ईमेल | **pbs@medicareaustralia.gov.au** |
| कॉल | 1800 500 147** (पी बी एस दवाओं को विदेश भेजने अथवा साथ ले जाने संबंधी जानकारी) |
| | 1800 020 613** (पी बी एस सामान्य पूछताछ नम्बर) |
| टी टी वाई | 1800 552 152** (सुनने अथवा बोलने में अशक्त व्यक्ति) |
| टी आई एस | 131 450* (अनुवाद तथा दुभाषिया सेवा) |

*कॉल प्रभार लागू होते हैं।

**केवल मोबाइल तथा पे फोनों पर ही कॉल प्रभार लागू होते हैं।

1577_09g.04.11.09